न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट तालाब)

वाद संख्या :– 02 / 84 / 2015

रणजीता बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 19.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट तालाब पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 13.06.2001 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 19 / 0.06, 20 / 0.12, 23 / 0.20, 24 / 0.20, 25 / 0.84, 26 / 0.31, 27 / 0.42, 28 / 0.33, 29 / 0.50 है. वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 28.07.2001 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को मौका से बेदखल न करें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने तथा आराजी किस्म गैर मुमकिन राडा दर्ज होने व काबिल काश्त नहीं होने तथा प्रार्थी की खातेदारी व गैरखातेदारी की दर्ज नहीं होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से यह तथ्य साबित नहीं है कि आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी व गैरखातेदारी में दर्ज हो तथा आराजी गैरमुमकिन राडा है तथा मुताबिक जवाब तहसीलदार राजगढ आराजी काबिल काश्त नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के हक में साबित नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 19 / 0.06, 20 / 0.12, 23 / 0.20, 24 / 0.20, 25 / 0.84, 26 / 0.31, 27 / 0.42, 28 / 0.33, 29 / 0.50 है. वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13.06.2001 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 कैम्प कोर्ट तालाब पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट तालाब)